

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्यारचन्द

बनाम

शतलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 04/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07/01/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती प्यारचन्द शंभू लाल जी जाडरी, हमराज-उभोदी

पिता श्री गंगोराम जी जाडरी, कमलाकाई पं. गंगोराम जी जाडरी

निवासी- मजरा - भोसारीया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

सेती स्थित ^{सह} खातेदारी की आराजी नम्बर 1779,

2240/1780, 2241/1778

कुल कीता 3 कुल रकबा 0.1600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के ^{सह} खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम सेती स्थित ^{सह} खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1779, 2240/1780, 2241/1778

कुल कीता 3 रकबा 0.1600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रुपये अक्षरे पत्रावली निगमित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(शतलाल सुन्दर विरनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

क्रमांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 04/2022/15

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

- प्रकरण : 1- प्यारचन्द शं० लालू गाडगी र/० भवडाशिया
2- गंगाराम शं० लालू भूतम के कजात :-
21 से 22 हमराज - उमादेवी कित्त गंगाराम जी गाडगी
23 कमलाबाई पत्नी गंगाराम जी गाडगी र/० भवडाशिया
क्रनाम ————— शर्मागिर
- 1- रतनलाल शं० प्यारचन्द गाडगी र/० लेमलिया
2- भैरवलाल शं० उदयलाल धाफड र/० पेंती
3- उदयलाल शं० नन्दराम गाडगी र/० भवडाशिया
4- रामलाल शं० युना जी ऊहीर र/० लेमलिया
5- गुम पंचाचत जोछी जरिह खचिय गा० ख० जोछी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित्त अनवान के प्रकरण में ग्राम सैती खतौनी सं. 47
संवत् 2072-2075 में अकित्त आराजी नम्बर 1779, 2240/1780, 2241/1778
कुल कित्ता 3 रकबा 0.1600 है। भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रूपये 500.00 अक्षरे पत्तों से खर्च मात्र प्रार्थी
वहन करेंगे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)